न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा
जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती बिन्दु बाला राजावत आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 129/2025
किस्म :— वाद
दायर दिनांक : 08.10.2024

निर्णय दिनांक : 22.01.2026

उनवान

1. उमेश मेनारिया पिता महेश कुमार मेनारिया जाति ब्राह्मण निवासी चमारो का मोहल्ला सुवनिया तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ

.....वादी

बनाम

1. गोरधन सिंह पिता जुजार सिंह जी जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी सुनारिया खेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. जयसिंह पिता जुजार सिंह जी जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी सुनारिया खेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
3. मोहन सिंह पिता जुजार सिंह जी जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी सुनारिया खेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
4. कैलाश कुंवर पुत्री लक्ष्मण सिंह जी जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी सुनारिया खेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
5. शकर सिंह पिता लक्ष्मण सिंह जी जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी सुनारिया खेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
6. देवी सिंह पिता लक्ष्मण सिंह जी जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी सुनारिया खेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
7. पृथ्वी सिंह पिता लक्ष्मण सिंह जी जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी सुनारिया खेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

.....प्रतिवादीगण

दावा :— वाद धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
वादी की ओर से :— अधिवक्ता नवलसिंह राणावत
प्रतिवादी संख्या 01 से 03, 05,06,07की ओर से :— अधिवक्ता शैलेन्द्रसिंह शक्तावत
प्रतिवादी संख्या 04 की ओर से :— एकपक्षीय

वादी अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कोटडी पटवारी हल्का कोटड़ी तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद की सरहद में स्थित वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 07 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की खाता संख्या नया 903 में स्थित आराजी संख्या 125, आराजी संख्या 142 से लगायत 146, आराजी संख्या 150 से लगायत 156, आराजी संख्या 158 से लगायत 165 कुल किता 21 कुल रकबा 8.8704 है0 स्थित है। उक्त में वर्णित आराजियात में वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/12 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/12 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 से लगायत 7 के पिता के नाम पर 1/4 हिस्सा वादपत्र में वर्णित आराजियात में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं । उक्त वर्णित आराजियात का विभाजन पूर्व में नहीं हुआ है केवल सभी पक्षकारान आपसी सहमति से सुविधा अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। जिसमें मौके पर हर समय विवाद होने की संभावना बनी रहती हैं। जिससे भूमि के विकास के लिए वादी राजस्व रिकॉर्ड में विभाजन कराकर मौके पर स्वतंत्र आधिपत्य प्राप्त करना चाहते हैं तथा राजस्व रिकॉर्ड में भी अपना स्वतंत्र आधिपत्य दर्ज कराना चाहते हैं जिसके लिए वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त वर्णित आराजियात में वादी के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा, रुकावट पैदा नहीं करें इस

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

हेतु प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 तक को जरीये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जाना नितांत आवश्यक है कि वादी को अपने हिस्से की जमीन में बाधा, रुकावट, हस्तक्षेप कारित नहीं करें तथा न ही उक्त जमीन को किसी अन्य को रहन बह बक्शीश ही करें। उक्त में वर्णित आराजियात को विभाजन हेतु कहा मगर दिनांक 29-09-2025 को प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 के द्वारा मना करने पर दिनांक 29-09-2025 से वाद हेतु उत्पन्न होकर निरंतर जारी है। यह कि भूमि के विकास एवं समुचित उपयोग उपभोग करने में तथा लगान आदि जमा करने में विभाजन कराया जाना नितांत आवश्यक है जिस निमित्त वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त में वर्णित आराजियात का विभाजन मौके पर कब्जे अनुसार कराया जावे। उक्त में वर्णित आराजियात के सहखातेदार लक्ष्मण सिंह की मृत्यु हो चुकी है एवं उसका नामान्तरकरण अभी तक नही खुला है जिससे उनके विधिक वारिसान के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुए है। लक्ष्मण सिंह के विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 से लगायत 7 है। जो आवश्यक पक्षकार होने से वादपत्र में पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 8 को भूमिधारी होने तथा वाद विभाजन का होने से आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है इनके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई दाद नहीं चाही गई है।

अतः प्रार्थना है कि यह कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 के विरुद्ध इस आशय की प्रारंभिक व अंतिम डिग्री प्रचलित फरमाई जावे की वादपत्र की कलम संख्या । एक में वर्णित आराजियात का वादपत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित हिस्से एवं मौके पर कब्जे अनुसार विभाजन कराया जाकर वादी को अपने हिस्से का स्वतंत्र आधिपत्य दिलाया जावे एवं उसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में स्वतंत्र अंकन फरमाया जाने की डिक्री प्रचलित फरमाई जावे यह कि विभाजन के पश्चात वादी को प्राप्त होने वाली आराजियत में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलअंदाजी, हस्तक्षेप, बाधाकारित नहीं करें तथा न ही उक्त जमीन को किसी अन्य को रहन बह बक्षीश ही करें इस निमित्त प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावे। यह कि वाद व्यय वकील मेहनताना वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे। यह की अन्य कोई समुचित सहायता जो वादी प्राप्त करने के अधिकारी हो दिलाई जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 एवं प्रतिवारी संख्या 05 से लगायत 07 की ओर से अधिवक्ता शैलेन्द्र सिंह शक्तावत ने वकालत नामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 04 की तामील हुयी किन्तु न्यायालय में अनुपस्थित रहे जिससे उक्त प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रतिवादी संख्या 03 व 05 की ओर से अधिवक्ता शैलेन्द्रसिंह शक्तावत ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी के वर्णितानुसार वादी के वर्णितानुसार कब्जा नहीं होकर प्रतिवादीगण के जवाब दावे के विशेष विवरण के अनुसार मौके पर वादी, प्रतिवादीगण व अन्य स्वतंत्र व्यक्तियों के पृथक पृथक कब्जे में आज से 70 वर्ष पूर्व से ही कब्जा चला आ रहा है जिससे वादी के पूर्व विक्रेता एवं प्रतिवादीगण के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 (4) के अनुसार खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके हैं। केवल राजस्व अभिलेख में हिस्सा व खातेदारी अधिकार त्रुटीपूर्ण रूप से चले आ रहे हैं जिससे वादी का उक्त वाद मेटेनेबल न होकर निरस्त होने योगय है।विक्रेताओं के खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके थे। ऐसी स्थिति में वादी किसी भी प्रकार से वादपत्र में वर्णितानुसार खातेदारी अधिकार का अस्तित्व में नहीं रखता है।वादी एक भूमाफियां हैं जिससे वादग्रस्त भूमियों का दिनांक 21/8/25 का अपने पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करवाया गया एवं दिनांक 29/8/25 को नामांतकरण मिथ्या रूपेण निर्णित करवा दिया गया। दिनांक 29/9/25 को वादी को कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं हुआ है। वादी के द्वारा मेटेरियल फेक्ट को छिपाकर (सप्रेसिंग कर) वादपत्र प्रस्तुत किया गया। जिससे वादी किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। जब वादी के पक्ष में विक्रेतागण के द्वारा विक्रय पत्र निष्पादित किया गयाजिन भूमियों में वादी के विक्रेतागण को ही खातेदारी अधिकार अस्तित्व में नहीं थे तो ऐसी स्थिति वादी को भूमियां विक्रय नहीं कर सकते हैं न ही वादी क्रय कर सकता है। जिससे वादी का वाद निरस्त होने योग्य है ।वादी के वर्णितानुसार न तो वादी का कब्जा हैं, न ही प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 7 का वादी के वर्णितानुसार कब्जा हो जिससे वादी किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता। विभाजन का वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार सहखातेदार राजस्व अभिलेख में अंकित सहखातेदार के मध्य विभाजन किये जाने के प्रावधान है। प्रतिवादी संख्या 4 से लगायत 7 के अनुसार राजस्व अभिलेख में सह खातेदारान के रूप में अंकन नहीं हैं जिससे वादी का वाद

पीठासीन कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी

उपरोक्त हिस्सेनुसार राजस्व अभिलेख में पृथक–पृथक अंकन दर्ज किया जावे तथा ...
... से कम हो।

निरस्त होने योग्य है। वादी एक बहुत बड़ा भूमाफिया है जो गंगरार तहसील, जिला चित्तौड़गढ़ का रहने वाला होकर हिन्दुस्तान जिंक का बेनामी एजेण्ट है एवं वादग्रस्त भूमि को विधि विरूद्ध रूप में उपयोग लिये जाने वाला एक बेनामी संव्यवहार के रूप में भूमियां खरीदी गई। जिससे वादी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अच्छी भूमियां एवं बुरी भूमियों के हिसाब से क्षेत्रफल अलग-अलग रखा गया जिसमें विकल्प मे निवेदन है कि यदि वादी विभाजन करने का अधिकारी भी पाया जावे तो उस स्थिति में मिट्स एण्ड बौण्डस पद्धति के आधार पर विभाजन करवाया जावे यह कि वादग्रस्त भूमियों में विभाजन की स्थिति में रास्ते आदि के रूप में भी किसी प्रकार विवरण नहीं दिया गया है न ही मीट्स एण्ड बोन्ड्स पद्धति के आधार पर अनुतोष चाहा गया है जिससे भी वादी का वाद निरस्त होने योग्य है। विपक्षी संख्या 01, 02,06, 07 की ओर से अवसर के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण जवाब बंद किया गया।

पत्रावली मे निम्न तनकीयात कायम की गयी–

1. आया कि वादग्रस्त सम्पति वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त स्वामित्व की आराजी होकर वादी अपने हक हिस्से तक की भूमि का विभाजन करवाने का अधिकारी है। ————जिम्मे वादी
2. आया कि वादग्रस्त भूमि के विभाजन के पश्चात: वादी अपने हिस्से तक की भूमि पर स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है। ————जिम्मे वादी
3. आया कि वादग्रस्त भूमि को विक्रेतागण को वेचने का अधिकार नहीं होने से व वादी अजनवी केता होने से उक्त भूमि का विभाजन करवाने का अधिकारी नहीं है। ———जिम्मे प्रतिवादी 03,05
4. आया कि वादग्रस्त भूमियों पर किसी अन्य का कब्जा होने से व कुसंयोजन व असंयोजन के आधार पर भी आवश्यक पक्षकार को पक्षकार न बनाये जाने से वाद खारिज योग्य है। ——जिम्मे प्रतिवादी 03,05
5. आया कि वादग्रस्त भूमि में विभाजन की स्थिति में रास्ते का विवरण न होने व मीट्स एण्ड वाउण्ड्स का विवरण न होने से वाद निरस्त योग्य है। ——जिम्मे प्रतिवादी 03,05
6. अनुतोष?

वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत की गई। पीडब्लु–1 उमेश पिता का नाम महेश जाति ब्राह्मण निवासी सुवानिया तहसील गंगरार जिला चित्तोडगढ के शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये। पीडब्लु–1 उमेश पिता का नाम महेश जाति ब्राह्मण निवासी सुवानिया तहसील गंगरार जिला चित्तोड़गढ़ के शपथ–पत्र पर प्रतिवादी अधिवक्ता शैलेन्द्रसिंह शक्तावत द्वारा जिरह की गयी। जिरह में बताया गया कि उक्त वादग्रस्त भूमि मैंने दिनांक 13.08.2025 को खरीदी थी। यह सही है कि मैंने विकय–पत्र की प्रति पत्रावली पर पेश नहीं की है। यह सही है मेरे द्वारा खरीदी हुई भूमि का क्षैत्रफल कितना है आज मुझे याद नहीं है। में गेजुएट हुं। मेरा सीमेन्ट, जनरल स्टोर एवं जमीनों का व्यवसाय है। यह सही है कि मैं चित्तोडगढ़ जिले का निवासी हूं। मेरी वादग्रस्त भूमि खरीदने का का कोई कारण नहीं है। यह गलत है कि मैं भू–माफिया होकर हिन्दूस्तान जिंक लिमिटेड दरीबा का एजेण्ट होउ और उक्त भूमि में हिदूस्तान जिंक लिमिटेड दरीबा को विकय करना चाहता हूं। यह सही है कि मैंने मुख्य परीक्षा में 09.12.2025 को शपथ–पत्र पेश किया। यह सही है कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त स्वामित्व आधिपत्य की थी। यह सही है कि दिनांक 29.02.2025 को गोवर्धन सिंह, जयसिंह, मोहनसिंह, कैलाशकंवर, शंकरसिंह, देवीसिंह, पृथ्वीसिंह, से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई थी। यह मुझे जानकारी नहीं है कि कैलाशकंवर, शंकरसिंह, देवीसिंह, पृथ्वीसिंह रेकार्डेड खातेदार है या नहीं कैलाशकंवर को में नहीं पहचानता। यह मुझे जानकारी नहीं है कि रेकार्डेड खातेदार नहीं होने से कि विभाजन का वाद नहीं लाया जा सकता। यह सही है कि मैंने विभाजन के दावे में रास्ते का कोई जिक नहीं किया है अज कहा मैं दूसरे सहखातेदारों को रास्ता देने के लिये तैयार हूं रास्ता ऐसे निकले की मेरी जमीन नहीं बिगडे। यह सही है कि वादग्रस्त भूमि के पूर्व दिशा के आराजीयात पश्चिम दिशा की आराजीयात में होकर ही जाया जा सकता है। यह मेरी जानकारी में नहीं है कि पूर्व दिशा के आराजीयात के सटमा कोई सरकारी सटमा रास्ता नहीं होकर पश्चिम दिशा के आराजीयात के सटमा रास्ता हो। प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत की गई। डीडब्लु–1 मोहनसिंह पिता का नाम जुजारसिंह जाति राजपुत निवासी सुनारिया खेड़ा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद के शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये। डीडब्लु–1 मोहनसिंह पिता का नाम जुजारसिंह जाति राजपुत निवासी सुनारिया खेड़ा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद के शपथ–पत्र प्रस्तुत पर वादी अधिवक्ता नवलसिंह राणावत द्वारा जिरह की गयी। यह सही है कि मेरे खातेदारी भूमि में मेरे हिस्से तक मेरा ही कब्जा है। यह सही है कि जिस आराजी का दावा लगा रखा है उस पर सभी खातेदारों का अपने हिस्से अनुसार कब्जा हैं यह सही है राजस्व रेकार्ड में हमारे अलग अलग बटवाडा नहीं हुआ है शामिल खाता ही चल रहा है। यह सही है उमेश मेनारिया ने जिन खातेदारों से जमीन खरीदी वह उनके हिस्से की जमीन ही खरीदी है। यह

(उप खण्ड अधिकारी)

सही है कि उमेश मेनारिया ने मौके पर जमीन पर सफाई कर कब्जा कर रखा है। डीडब्लु–2 बालुसिंह पिता का नाम सुगेरसिंह जाति राजपुत निवासी सुनारिया खेड़ा हाल.उदयपुर तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद के शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये। डीडब्लु–2 बालुसिंह पिता का नाम सुगेरसिंह जाति राजपुत निवासी सुनारिया खेड़ा हाल.उदयपुर तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद के शपथ–पत्र प्रस्तुत पर वादी अधिवक्ता नवलसिंह राणावत द्वारा जिरह की गयी। यह गलत है कि मे विवादियाता आराजीयात का पडोसी नहीं होउं अज कहा खाता संख्या 397 इस आराजीयात के पडोसी भूमि है जिसपर मेरा कब्जा है। खाता संख्या मेरे नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं है इसकी आराजी संख्या 126 के 1/2 हिस्से पर पिछले 60 साल से मेरा कब्जा है। विवादित भूमि पर में 10 वर्ष पूर्व गया था। यह सही है विवादित भूमि पर अपने पूर्वजों के समय से बंटवार कर रखा है एवं हिस्सेनुसार काविज है। यह गलत है कि विवादित भूमि पर किस आराजी पर किसका कब्जा है यह मैं नहीं बता सकता होउं। यह गलत है कि आराजी नम्बर 144, 145, 146, 151 से लगायत 154, 158 से लगायत 161 पर वादी उमेश का कब्जा हो। यह सही है कि राजस्व रेकार्ड में बहादुरसिंह, पूरणसिंह, भैरूसिंह, चन्द्रपालसिंह, सुरेन्द्रसिंह, तेजसिंह, रघुनाथसिंह, किशनसिह, का नाम दर्ज नहीं है। यह गलत है कि विवादित भूमि खाता संख्या 903 में एकलिंगसिंह, गोपालसिंह, सोभागसिंह, अर्जुनसिंह, प्रहलादसिंह, भवानीसिंह, यशवंतसिंह, दौलतसिंह, मनोहरसिंह, कमलेन्द्रसिंह, विजयभाणसिंह, प्रभुसिंह.भवरसिह, चावण्डसिंह, का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर हिस्सेनुसार काविज हो। यह गलत है मैं ज्यादातर समय उदयपुर में निवास करता हुं। बल्कि मेरे गांव सुनारियाखेड़ा एवं उदयपुर निवास करता हूं। यह गलत है कि उमेश मेनारिया ने मौके पर अपने भूमि के हिस्से पर सफाई कर कब्जा कर रखा हो बल्कि 19 वीघा पर ही सफाई करवा रखी है।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा लिखित में बहस पेश की। अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, वाद व जवाब प्रतिवादीगण 03, 05 व शपथ–पत्र, जिरह व बहस के अधार पर निम्नानुसार तनकीवार निर्णयः–

1. आया कि प्रथम तनकी अनुसार वादी द्वारा अपने पक्ष में जमाबंदी राजस्व ग्राम कोटड़ी पटवार हल्का कोटडी के नया खाता संख्या 903 पुराना खाता संख्या 397 वादग्रसत आराजीयात की 01.09.2025 की सत्यापित जमाबंदी प्रस्तुत की गई जो कि प्रदर्श–2 है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा है व प्रतिवादी श्री गोरधन सिहं जूजार सिंह का 1/12 हिस्सा, जयसिंह पुत्र जूजार सिंह का 1/12 हिस्सा, मोहनसिंह पूत्र जूजार सिंह का 1/12 हिस्सा, लक्ष्मणसिंह पुत्र मोडसिंह का 1/4 हिस्सा वाद पत्र के अनुसार ही होना साबित होता है। इसमें खातेदार के विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 04 से लगायत 07 तक वादपत्र अनुसार लक्ष्मणसिंह की मृत्यु होने से व नामान्तकरण की कार्यवाही न होने से विधिक वारिसान रेकार्ड पर नहीं आये किन्तु नियमानुसार उन्हें प्रतिवादी बनाया गया है जो विधिक दृष्टिकोण से सही है। अतः वादी द्वारा यह स्पष्ट रूप से साबित किया गया है कि वह रेकार्डेड खातेदार है व अपने हिस्से अनुसार संयुक्त स्वामित्व की आराजी का विभाजन कराने का अधिकारी है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में तय की जाती है।
2. आया कि उक्त तनकी अनुसार वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात का वादी संयुक्त खातेदार जमावंदी संम्वत 2077(वर्ष 2020) की नवीनतम जमाबंदी दिनांक 01.09.2025 अनुसार वादी के स्वामित्व में 1/2 हिस्सा होने का स्पष्ट प्रमाण है व पीडब्लू–1 व डीडब्लू–1 व डीडब्लू–2 द्वारा भी अपने जिरह में स्वीकार किया गया है कि वादी द्वारा अपने हिस्से पर सफाई करवा कर कब्जा कर रखा है व रेकार्डेड खातेदार व कब्जाधारक होने से वादी अपने पक्ष में अपने हिस्से अनुसार स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है। अतः तनकी 02 वादी के पक्ष में तय की जाती है।
3. आया कि उक्त तनकी अनुसार विक्रेता को विवादित आराजी बेचने का अधिकारी नहीं होने से व वादी एक अजनबी क्रेता होने से विभाजन करवाने का अधिकारी नहीं है। किन्तु प्रतिवादीगण यह किसी भी प्रकार से स्पष्ट नही कर पाये कि पूर्व विक्रेता के खातेदारी किसी प्रकार से समाप्त हो चुके थे और अपने किसी भी खातेदारी अधिकार को साबित करवाने या घोषणा करवाने हेतु उन्होंने किसी न्यायायल से दाद प्राप्त की होवे। पूर्व खातेदार द्वारा भूमि विकय किये जाने व नवीन केता को कब्जा किये जाने तक प्रतिवादीगण ने आज दिनांक किस प्रकास से स्वंय को खातेदार घोषित करवाने व पूर्व विकेता के खातेदारी अधिकतम शून्य घोषित करवाने की कार्यवाही की हो यह साबित

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी

करने हेतु प्रतिवादी कोई साक्ष्य, गवाह प्रस्तुत नहीं कर पाये न ही अपनी जिरह हो साबित कर पाये है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध व वादी के पक्ष में तय की जाती है।

4 आया कि उक्त तनकी अनुसार वादग्रस्त आराजीयात पर किसी अन्य का कब्जा होने व आवश्यक पक्षकार को पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण कुसंयोजन व असंयोजन के आधार पर यह वाद खारिज योग्य होने को साबित करने का जिम्मा प्रतिवादीगण का था किन्तु न ही जमाबंदी अनुसार न ही अन्य किसी साक्ष्य, सबूत या अपने बयान व जिरह में प्रतिवादी यह साबित कर पाये। प्रतिवादी डीडब्लू 1 व डीडब्लू 2 में स्वंय ने यह स्वीकार किया कि वादग्रस्त भूमि पर वादी ने सफाई करवा रखी है व उसका कब्जा है। प्रतिवादी यह स्पष्ट नहीं कर पाये कि आवश्यक पक्षकार मौके को व उनके अधिकार किसी प्रकार से वादग्रस्त आराजीयात पर तय होते हैं और न ही उन्होंने खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध व वादी के पक्ष में तय की जाती है।

5 आया कि उक्त तनकी अनुसार मिट्स व बाउण्ड्स पद्धति का उल्लेख होने से वादी वादग्रस्त आराजी का विभाजन करवाने का अधिकारी नहीं है यह साबित करने का जिम्मा प्रतिवादीगण का तय किया गया था किन्तु सम्पूर्ण वादपत्र अनुसार व प्रतिवादीगण के बयान अनुसार यह साबित होता है कि वादी वादग्रस्त सम्पति का 1/2 हिस्से का रेकार्डेड स्वामित्व रखता है व मौके पर भी वादी द्वारा सफाई करवा रखी है। ऐसी स्थिति में जब वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विवाद है व वादग्रस्त सम्पति का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स पद्धति से बंटवारा करवाने हेतु प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवाद नहीं लगाया गया है अतः यह तनकी प्रतिवादगण के विरूद्ध व वादी के पक्ष में तय की जाती है।

6. अनुतोष।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 का स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम कोटडी पटवारी हल्का कोटड़ी तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद की सरहद में स्थित वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 07 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की खाता संख्या नया 903 में स्थित आराजी संख्या 125, आराजी संख्या 142 से लगायत 146, आराजी संख्या 150 से लगायत 156, आराजी संख्या 158 से लगायत 165 कुल किता 21 कुल रकबा 8.8704 है0 भूमि का **राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से व कब्जे के अनुसार** विभाजन करने की आज्ञा दी जाती हैं। उक्त विभाजन हेतु मौका कमिश्नर तहसीलदार रेलमगरा को नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आराजियात का पक्षकारान के मध्य विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस दो–दो प्रतियों में न्यायालय में प्रस्तुत करें। तद्नुसार डिक्री पर्चा कायम हो। विभाजन हेतु तहसीलदार को लिखा जावें। वास्ते पत्रावली बइन्तजार विभाजन प्रस्ताव के दिनांक 29.01.2026 को पेश हो।

(बिन्दु बाला राजावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
(राजसमंद)

निर्णय आज दिनांक 22.01.2026 को खुले न्यायालय मे आदेश सुनाया गया ।

(बिन्दु बाला राजावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
(राजसमंद)

संख्यांक नं0 1

मूल वाद में प्रारंभिक डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला–राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती बिन्दु बाला राजावत आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या 129 / 2025
विषय – वाद
दायर दिनांक : 08.10.2024

निर्णय दिनांक : 22.01.2026

उनवान

1. उमेश मेनारिया पिता महेश कुमार मेनारिया जाति ब्राह्मण निवासी चमारो का मोहल्ला सुवनिया तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

..........................वादी

बनाम

1. गोरधन सिंह पिता जुजार सिंह जी जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी सुनारिया खेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. जयसिंह पिता जुजार सिंह जी जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी सुनारिया खेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
3. मोहन सिंह पिता जुजार सिंह जी जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी सुनारिया खेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
4. कैलाश कुंवर पुत्री लक्ष्मण सिंह जी जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी सुनारिया खेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
5. शंकर सिंह पिता लक्ष्मण सिंह जी जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी सुनारिया खेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
6. देवी सिंह पिता लक्ष्मण सिंह जी जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी सुनारिया खेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
7. पृथ्वी सिंह पिता लक्ष्मण सिंह जी जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी सुनारिया खेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

..........................**प्रतिवादीगण**

दावा :– वाद धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी की ओर से	:–	**अधिवक्ता नवलसिंह राणावत**
प्रतिवादी संख्या 01 से 03, 05,06,07की ओर से	:–	**अधिवक्ता शैलेन्द्रसिंह शक्तावत**
प्रतिवादी संख्या 04 की ओर से	:–	**एकपक्षीय**

मै इस आशय में दिनांक 22.01.2026 को न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी का स्वीकार किया जाता है कि राजस्व ग्राम कोटडी पटवारी हल्का कोटडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद की सरहद में स्थित वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 07 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की खाता संख्या नया 903 में स्थित आराजी संख्या 125, आराजी संख्या 142 से लगायत 146, आराजी संख्या 150 से लगायत 156, आराजी संख्या 158 से लगायत 165 कुल किता 21 कुल रकबा 8.8704 हे0 भूमि का राजस्व रकार्ड में दर्ज हिस्से व कब्जे के अनुसार विभाजन करने की आज्ञा दी जाती हैं। उक्त विभाजन हेतु मौका कमिश्नर तहसीलदार रेलमगरा को नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आराजियात का पक्षकारान के मध्य विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस दो–दो प्रतियों में आगामी पेशी दिनांक 29.01.2026 के पूर्व न्यायालय में प्रस्तुत करें।

आज दिनांक को 22.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की गोल मोहर लगाकर जारी की गई।

(बिन्दु बाला राजावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
(राजसमंद)

उप खण्ड अधिकारी
रेलमगरा